(7) विकलांग बच्चों के विशेष गृह/स्कूल।
Special School/Home for Disabled Children

उद्देश्य विकलांगता से ग्रस्त बच्चे जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें शिक्षा/व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

संस्थानों का विवरण

- दृष्टिहीन, मूक बधिर 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की विकलांग लडकियां, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, के लिए विभाग द्वारा सुन्दरनगर (मण्डी) में गृह चलाया जा रहा है। इस गृह में विकलांग छात्राओं को दसवीं कक्षा तक शिक्षा, रहन–सहन व खाने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है।
- दृष्टिहीन व मूक बधिर लडकें जो 6 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में हो व जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो को हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला द्वारा संचालित मूक बधिर व दृष्टिहीन पाठशाला ढली (शिमला) में प्रवेश दिया जाता है इस गृह में छात्रों को दसवीं तक शिक्षा सुविधा के अतिरिक्त रहन सहन, खाने की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही हैं
- शारीरिक रुप से विकलांग छात्रों के लिये हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला द्वारा धर्मशाला में 6 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु गृह चलाया जा रहा है। इस गृह के माध्यम से 10वी कक्षा तक शिक्षा सुविधा, रहन–सहन, खान–पान इत्यादि की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है।
- 6 से 10 वर्ष तक की आयु के मानसिक रुप से अविकसित बच्चे जिनके माता–पिता /संरक्षक की मासिक आय 2500/–रु0 से कम हो को, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु प्रेम आश्रम ऊना में विभाग के माध्यम से प्रवेश दिलवाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कुल्लू, शिमला, मण्डी, चम्बा, सिरमौर, कांगडा व बिलासपुर में संस्थान चलाएं जा रहे है।

प्रक्रिया जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी/सक्षम राजस्व अधिकारी से प्राप्त हिमाचली प्रमाण पत्र सहित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संस्थान को आवेदन करना होगां।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महासचिव हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद, शिमला–02, सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।